न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :— प्रार्थना पत्र संख्या 101/2023

रचना मान पुत्री श्री भानी राम पत्नी श्री अनिल कुमार मान जाति जाट उम्र 59 वर्ष निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी म.नं. 107, पवन विहार, जगतपुरा, जयपुर तहसील व जिला जयपुर (राजस्थान)। — — वादी

—:: बनाम ::—

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर — — प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. एवम् 136 एल आर एक्ट

—:: उपस्थिति ::—

1. श्री काशीराम रणवा — — वादी
2. पैरोकार राज — — प्रतिवादी

— :: निर्णय ::—

दिनांक :—17.02.2025

वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया कृषक पेशा हैं। वादीया कृषक पेशा के साथ जयपुर शहर में वकालत का व्यवसाय करती हैं। वादीया का पंजीकृत पता शीर्षक वाद में अंकित हैं। वादीया के पिता श्री भानीराम के नाम से वाके चक 6 क्यू व चक 4 क्यू में कृषि भूमि थी। वादीया के पिता भानीराम के देहान्त पर वादग्रस्त कृषि भूमि वादीया व वादीया के भाई—बहिनों को बतौर वारिस विरासतन प्राप्त हुई थी। वादीया का बचपन में नाम मुनी देवी व मुन्नी देवी था और यही नाम इंतकाल के समय राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया। तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 6 क्यू के वर्तमान खाता संख्या 50/40 के मुरब्बा नं. 5 के किला नं. 5, 6, 15, 16 की 0.923 है0, मुरब्बा नं. 6 के किला नं. 1 ता 13, 18 ता 23 की 4.2260 है0 नहरी मय खाला कुल भूमि 5.149 हैक्टयर में वादीया के नाम 322/5149 हिस्सा अर्थात् 0.322 हैक्टयर दर्ज कागजात माल है व चक 4 क्यू के खाता संख्या 79/63 के मुरब्बा नं. 8 के किला नं. 13/1 में 0.126 है0, मुरब्बा नं. 34 के किला 11, 12, 18 ता 24 की 2.2010 है0, मुरब्बा नं. 35 के किला नं. 23 ता 25 में 0.670 है0 मय खाला, मुरब्बा नं. 48 के किला नं. 16, 25 में 0.506 है0 नहरी मय खाला कुल तादादी 3.5030 हैक्टयर में वादीया के नाम 219/3503 हिस्सा अर्थात् 0.219 हैक्टयर व इसी चक के खाता संख्या 80/64 के मुरब्बा 41 के किला नं. 1 ता 20, 23 ता 24 की 5.652 हैक्टयर में वादीया के नाम 1/8 हिस्सा अर्थात् 0.7065 हैक्टयर दर्ज कागजात माल हैं। तीनो खातो में वादीया का नाम मुनी देवी पुत्री भानीराम मुन्नी देवी पुत्री भानीराम दर्ज है। तीनों जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न वाद पत्र है। वादीया का बचपन में नाम मुन्नी देवी था और अध्ययन के समय भी वादीया का नाम स्कूल रिकार्ड में मुन्नी देवी दर्ज कर दिया गया था । वादीया द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेने से व वादीया की शादी होने से वादीया के बने पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड रचना मान नाम से बने हैं। वादीया के पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड में रचना मान नाम दर्ज होने से वादीया के अभिभाषक एनरोलमेन्ट नम्बर आर/218/1998 में बार कौंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा वादीया का नाम मुन्नी देवी से रचना मान दर्ज कर दिया गया और इस

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

संबंध में अधिसूचना दिनांक 11-11-1999 को जारी कर दिया। इन सबके आधार पर वादीया
का नाम रचना मान पुत्री श्री भानीराम हो गया और वादीया को इसी नाम से जानने लग
गये। वर्तमान में वादीया विशिष्ट लोक अभियोजक पोस्को न्यायालय, जयपुर के पद पर
कार्यरत है और वादीया को वर्तमान में रचना मान के नाम से ही वेतन राज्य सरकार द्वारा
दिया जा रहा है इससे स्पष्ट हैं कि वादीया का वर्तमान में नाम रचना मान हैं । वादीया के
पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड व बार कौंसिल ऑफ राजस्थान का सूचना पत्र की प्रति
संलग्न वाद पत्र है। वादीया के शिक्षा संबंधित दस्तावेज में वादीया का नाम मुन्नी देवी होने
से व वर्तमान में वादीया का नाम रचना मान होने से उक्त दोनो नाम वादीया के ही हैं कि
घोषणा हेतु वादीया ने शपथ पत्र संबंधित विभाग में प्रस्तुत किया जो बाद जांच राजस्थान
राजपत्र में दिनांक 27-04-2023 को प्रकाशित किया गया और इस शपथ पत्र व प्रकाशन से
वादीया के नाम में संशोधन की विधिवत् प्रक्रिया पूर्ण होने उपरान्त वादीया का नाम मुन्नी
देवी के स्थान पर रचना मान कानूनन स्वीकृत कर दिया गया और वादीया का नाम रचना
मान है की घोषणा सर्वमान्य हो गयी । राजपत्र की फोटो प्रति संलग्न वाद पत्र हैं। वादाधीन
भूमि में वादीया का पूर्ववत नाम मुन्नी देवी/मुनी देवी चला आ रहा हैं। राजस्व रिकार्ड
जमाबन्दी में वादीया का नाम मुन्नी देवी/ मुनी देवी होने से व वादीया के दस्तावेजी साक्ष्य
में वादीया का नाम रचना मान दर्ज होने से वादीया को भूमि संबंधित कार्य में कई परेशानियों
का सामना करना पड रहा है, नाम परिवर्तन होने से राजस्व रिकार्ड में वादीया का प्रचलित
नाम रचना मान दर्ज करवाने की घोषणा करवाने की कानूनन अधिकारिणी हैं और माननीय
न्यायालय ऐसी घोषणा करने में सक्षम हैं। वादीया ने प्रतिवादी से आधार कार्ड, पेन कार्ड व
गजट में प्रकाशित राजपत्र प्रस्तुत कर वादीया का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में मुन्नी
देवी/मुनी देवी के स्थान पर रचना मान दर्ज करने का कहा तो प्रतिवादी ने सक्षम न्यायालय
से आदेश होने पर ही वादीया का नाम राजस्व रिकार्ड में रचना मान दर्ज हो सकता है का
कहा और दस्तावेज के आधार पर रचना मान नाम दर्ज करने से दिनांक 18-08-2023 को
इकार कर दिया, यही वाद कारण हैं। वादीया द्वारा वाद में मांगा गया अनुतोष सामान्य प्रकृ
ति का हैं । वादीया द्वारा मांगा गया अनुतोष औपचारिक प्रकृति का होने से वादीया द्वारा
धारा 80 सीपीसी का नोटिस प्रतिवादी को नहीं दिया जा रहा हैं । वाद वादीया सामान्य
प्रकृति का होने से बिना नोटिस वाद प्रस्तुत किया जा रहा हैं। वाद वादीया कृषि भूमि में
नाम के अधिकारों की घोषणा बाबत हैं। वादग्रस्त कृषि भूमि माननीय न्यायालय के
क्षेत्राधिकार में स्थित हैं । वाद वादीया माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का
है जो अन्दर अवधि उचित न्यायशुल्क पर पेश हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद
वादीया विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :-

क- घोषित किया जावे कि वाके चक 6 क्यू के खाता संख्या 50 / 40, चक 4 क्यू के खाता संख्या 79/63, 80/64 के क्रम संख्या 4 में दर्ज भूमि की वादीया रचना मान खातेदार हैं।

ख- वाके चक 6 क्यू के खाता संख्या 50/40, चक 4 क्यू के खाता संख्या 79/63, 80/64 में वादीया का दर्ज नाम मुन्नी देवी/मुनी देवी पुत्री श्री भानी राम के नाम के स्थान पर रचना मान पुत्री श्री भानी राम दर्ज किये की घोषणा की जावे।

ग- वैकल्पिक अनुतोष में वाके चक 6 क्यू के खाता संख्या 50/40, चक 4 क्यू के खाता संख्या 79/63, 80/64 में वादीया का दर्ज नाम मुन्नी देवी/मुनी देवी पुत्री श्री भानी राम उर्फ रचना मान पुत्री श्री भानी राम दर्ज किये जाने को घोषणा की जावे ।

घ- खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

ङ- अन्य कोई अनुतोष जो न्यायसंगत व वादीया के हित में हो प्रदान किया जावे

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी द्वारा वाद के समर्थन में आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड की प्रति, गजट नोटिफिकेशन दिनांक 27 अप्रैल 2023, बार कॉउंसिल ऑफ राजस्थान के नोटिफिकेशन दिनांक 11.11.2019 की प्रमाणित प्रति पेश की गई।

–:: आदेश ::–

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेख्य एवम् जमाबंदीयों का अवलोकन किया गया। अभिलेखीय साक्ष्यों एवम् गजट नोटिफिकेशन के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर चक 6 क्यू के खाता संख्या 50 / 40, चक 4 क्यू के खाता संख्या 79 / 63, 80 / 64 में वादीया का दर्ज नाम मुन्नी देवी / मुनी देवी पुत्री श्री भानी राम के स्थान पर मुन्नी देवी उर्फ रचना मान पुत्री श्री भानी राम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with CamScanner